

कार्यालय जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर।

संख्या: 904/स्था0नि0लि0/60(16-17) आदर्श न0प0यो0/2021

दिनांक: 23 नवम्बर, 2021

विज्ञप्ति

विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन नगर विकास अनुभाग-8, लखनऊ के पत्र संख्या-2181/नौ-8-2021-04डी0डी0 यू0 (बजट)/2021 दिनांक-23.अक्टूबर2021 द्वारा प्रदेश की नागर निकायों में पं0 दीनदयाल उपाध्याय, आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत जनपद अम्बेडकरनगर स्थित नगर पालिका परिषद टाण्डा अम्बेडकरनगर को वित्तीय वर्ष-2021-22 के लिए चयनित किया गया है। इस चयनित आदर्श नगर पंचायत में अवस्थापना सुविधाओं को सुव्यवस्थित रूप से विकसित किये जाने हेतु उ0प्र0 शासन नगर विकास अनुभाग-8, लखनऊ के शासनादेश संख्या-777/नौ-8-2018-53ज/2017 टी.सी. दिनांक 21.03.2018 व शासनादेश संख्या-47/9-8-2019-53ज/2017 दिनांक-05.01.2019 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता एवं अधितकम जनउपयोगी अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत उपयुक्त कार्यों को सम्मिलित कर सुव्यवस्थित रूप से विकसित किये जाने एवं उनके समेकित विकास हेतु आवश्यकतानुसार एवं समन्वित कार्ययोजना/डी0पी0आर0 तैयार किये जाने हेतु एक अनुभववी आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर जिसे सरकारी तथा निजी क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए कम से कम 03 वर्ष कार्य करने का अनुभव हो, से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाने हैं। आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर का चयन जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पारदर्शी तरीके से किया जायेगा। केवल उन्हीं आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा, जो निम्न अर्हता/योग्यता पूरी करते हों :-

01. आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर के पास विधिक अर्हता तथा Council of Architecture में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है।
02. बहुआयामी परियोजनाओं (सरकारी/गैर सरकारी) में कार्य करने का 03 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।
03. आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर को पैन धारक होना अनिवार्य है।
04. मुख्य आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर को निकाय के बुलाये जाने पर स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है।
05. चयनित निकाय में कार्यालय का अधिष्ठापन करना अनिवार्य होगा।
06. चयनित आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर द्वारा कार्य योजना/डी0पी0आर0 तैयार करने, परियोजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए परियोजना मूल्य का अधिकतम 2 प्रतिशत की दर से भुगतान किया जायेगा, जो परियोजना मूल्य में सम्मिलित रहेगा।
07. आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर को उक्त योजना में किये गये कार्यों का भुगतान नियमानुसार देय धनराशि से आयकर व जी0एस0टी0 की कटौती करके किया जायेगा।
08. आवेदन पत्र के साथ विधिक अर्हता/अनुभव/शैक्षिक योग्यता/पैन कार्ड व अन्य सम्बन्धित अभिलेखीय साक्ष्य की छायाप्रति स्वप्रमाणित संलग्न करना अनिवार्य है तथा आवेदन पत्र पर पासपोर्ट साइज का फोटो लगाना आवश्यक है।

अतएव जनपद अम्बेडकरनगर की नगर पालिका परिषद टाण्डा में उपरोक्त कार्य हेतु इच्छुक आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर को जिलाधिकारी कार्यालय, अम्बेडकरनगर में दिनांक-29.11.2021 से 12.12.2021 तक अपना आवेदन पत्र/प्रस्ताव रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजना होगा, साथ ही साथ बंद लिफाफे के ऊपर आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर बड़े अक्षरों में लिखना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। गठित समिति द्वारा नियमानुसार चयन हो जाने के फलस्वरूप चयन सम्बन्धी सूचना पृथक से आवेदन पत्र में अंकित ई-मेल/पते पर ई-मेल/डाक के माध्यम से दी जायेगी। अधिक जानकारी हेतु जनपद अम्बेडकरनगर कलेक्ट्रेट स्थित स्थानीय निकाय पटल से प्राप्त किया जा सकता है।

अपर जिलाधिकारी,
(वित्त एवं राजस्व)
अम्बेडकरनगर।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन, नगर विकास, लखनऊ।
02. जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर।
03. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी अम्बेडकरनगर को वेबसाइट " ambedkarnagar.nic.in " पर अपलोड करने हेतु।

23/11/2021
अपर जिलाधिकारी,
(वित्त एवं राजस्व)
अम्बेडकरनगर।